राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2025

उनवान : किशोरसिंह व अन्य बनाम बदू बेवा व अन्य अन्तर्गत नियम 18 राज. कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय) नियम 1978 विकेल्पन नियम, 20 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 2/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/39

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. किशोरसिंह पुत्र शंकरलाल 2. गणपतसिंह पुत्र शंकरलाल 3. वरजुदेवी पत्नी शंकरलाल जातिगण पुरोहित निवासीगण सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.		1. बदू बेवा मीठालाल जाति बंधारा, निवासी पोमावा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज. 2. तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत नियम 18 राज. कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय) नियम 1978 विकेल्पन नियम, 20 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत ग्राम पोमावा के वर्तमान खसरा संख्या 574/763 रकबा 0.6800 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 451 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा) में से भूमि का आवंटन/नियमन आदेश दिनांक निल द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पति के नाम से किये आवंटन/नियमन को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 30.01.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 18 राज. कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय) नियम 1978 विकेल्पन नियम, 20 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत ग्राम पोमावा के वर्तमान खसरा संख्या 574/763 रकबा 0.6800 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 451 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा) में से भूमि का आवंटन/नियमन आदेश दिनांक निल द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पति के नाम से किये आवंटन/नियमन को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पोमावा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली के गत खसरा संख्या 451 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि जवाई कमाण्ड एरिया में स्थित है। उक्त भूमि के वर्तमान सेटलमेण्ट के बाद नये खसरा नम्बर 574 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, किस्म जवाई नहरी दोयम तथा खसरा नम्बर 574/763 रकबा 0.6800 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी दोयम मिलान क्षेत्रफल अनुसार बने है। प्रमाण में भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश है।

यह है कि पूर्व में उपरोक्त कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 451 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा सरकारी भूमि थी। उपरोक्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति मीठालाल जी का कभी किसी भी हैसियत से आधिपत्य नहीं रहा है बल्कि वास्तविक भौतिक आधिपत्य हमेशा से ही अर्थात राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रार्थीगण के पिताजी का उनके जीवनकाल में रहा, तत्पश्चात प्रार्थीगण का चला आ रहा है। उक्त भूमि संवत् 2031 से 2034 की जमाबंदी में सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज है। प्रमाण में सम्बन्धित जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ में पेश है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2025

उनवान : किशोरसिंह व अन्य बनाम बदू बेवा व अन्य अन्तर्गत नियम 18 राज. कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय) नियम 1978 विकेल्पन नियम, 20 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970)

यह है कि उपरोक्त भूमि को आवंटन/नियमन किये जाने बाबत कोई विधिवत आदेश प्रार्थीगण का उपलब्ध नहीं हुआ है, इस बाबत् जानकारी की गई एवं प्रमाणित प्रति भी चाही गई लेकिन किसी प्रकार का आदेश उपलब्ध नहीं होने से प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है, जिस बाबत् प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति पेश है।

यह है कि उपरोक्त सन्दर्भ में खसरा गिरदावरी संवत् 2031 व 2034 में सवत् 2032 में उपरोक्त भूमि को नियमन सुरतींग वेला, मीठा पुत्र बगता बंधारा किये जाने का नोट लगा हुआ है लेकिन ऐसा कोई नियमन आदेश की प्रति प्रार्थीगण द्वारा किये गये प्रयास के बाद भी प्राप्त नही हुई है।

यह है कि सेटलमेंट के दौरान तैयार खसरा पत्रक में पत्रावली संख्या 186/81 निर्णय दिनांक 20.05.1982 आदेश आदेश ए आर ओ पार्टी संख्या 03 जोधपुर के अनुसार खसरा नम्बर 574 मे से रकबा 0.8200 हैक्टेयर सुरतींग पुत्र वेलाजी के नाम तथा खसरा नम्बर 574/763 रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि मीठालाल पुत्र वरदा के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना बताया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये गये लेकिन मीठालाल की ओर से न तो कोई आवेदन पेश हुआ, ना ही आरक्षित मुल्य जमा करवाया तथा ना ही इस बाबत् कोई कार्यवाही की गई। प्रमाण में खसरा पत्रक की प्रमाणित प्रति साथ पेश है।

यह है कि सेटलमेंट के दौरान ए.आर.ओ. महोदय को आवेदन केवल सुरतींग वेलाजी द्वारा गत खसरा 451 मे से 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि बाबत ही खातेदारी देने हेतु पेश किया गया था। जबकि अप्रार्थी मीठालाल की ओर से न तो कब्जा होना बताया और न ही खातेदारी हेतु आवेदन पेश किया गया था, फिर सुरतींग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर ही अप्रार्थी मीठालाल के नाम का इन्द्राज खसरा पत्रक एवं तत्पश्चात तैयार की गई जमाबंदी मे गैर खातेदार दर्ज कर दिया, तत्पश्चात म्युटेशन संख्या 368 के द्वारा मीठालाल की मृत्यु होना बताकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत कर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया, जो यथावत चल रहा है।

यह है कि उपरोक्त परिस्थितियों मे तथा प्रार्थीगण द्वारा की गई जानकारी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का लम्बे समय से कोई अता पता नहीं है। मौके पर कभी भी मीठालाल अथवा अप्रार्थी वदू कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। मौके पर कब्जा काश्त एक मात्र प्रार्थीगण के पिता तथा उनकी मृत्यु के पंश्चात् प्रार्थीगण का लगातार चला आ रहा है।

यह है कि मूल खसरा नम्बर (गत) 451 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा आज भी एक ही चक में स्थित है, जिसके चारो तरफ प्रार्थीगण द्वारा धोरा पाली एवं बड़ी बड़ी कांटो की बाड की हुई है तथा कब्जा लगातार प्रार्थीगण का ही है, इस कारण उक्त गत खसरा नम्बर 451 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि को सुरतींग द्वारा प्रार्थीगण के पिता/पति को उपरोक्त परिस्थितियों में पंजीबद्ध विक्रय-पत्र दिनांक 03.07.1977 द्वारा विक्रय की गई, जिस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया, लेकिन गत खसरा नम्बर 451 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार बताये गये हाल खसरा नम्बर 574/763 रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के पति के नाम ही दर्ज की गई, जो उपर दर्ज अनुसार बिना किसी आवेदन व आदेश के सेटलमेंट विभाग द्वारा दर्ज की गई, जबकि सेटलमेंट विभाग को इस तरह इन्द्राज करने के विधिनुसार हक अधिकार ही नहीं है।

यह है कि मौके पर वर्तमान खसरा नम्बर 574 एवं 574/763 की भूमि एक ही चक में प्रार्थीगण के वैधानिक आधिपत्य में है तथा खसरा नम्बर 574/763 भूमि में प्रार्थीगण द्वारा कई वर्षों पूर्व ट्युबवेल खोदा हुआ है। अप्रार्थी एवं उसके पति का कभी भी एक दिन के लिए भी कब्जा नही रहा है, ना ही कभी भी काश्त की है, फिर भी अवैध तथाकथित नियमन आदेश की ओट में सेटलमेंट विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रुप से नाम दर्ज कर दिया गया। मौके पर कब्जा नही होने से ही खातेदारी अधिकारी नहीं दिये है ऐसी स्थिति में नियमों की पालना नहीं किये जाने से तथाकथित नियमन आदेश निरस्त योग्य है।

यह है कि उपरोक्त तथाकथित नियमन आदेश का अस्तित्व में होना संदिग्ध है तथा प्रार्थीगण की जानकारी अनुसार ऐसा आदेश अस्तित्व में नही होना ज्ञात हुआ है। चूंकि सेटलमेन्ट पूर्व उपरोक्त भूमि की किस्म बारानी दोयम थी तथा सेटलमेंट के दौरान व पश्चात् किस्म नहरी दोयम की गई है, ऐसी स्थिति में उक्त नियमन किस नियमों के तहत किया गया है, यह दस्तावेज अर्थात नियमन आदेश

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2025

उनवान : किशोरसिंह व अन्य बनाम बदू बेवा व अन्य अन्तर्गत नियम 18 राज. कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय) नियम 1978 विकेल्पन नियम, 20 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970)

के अभाव में स्पष्ट नही है, इस कारण उक्त दोनो ही नियमों के तहत उक्त आवेदन पेश किया जा रहा है।

यह है कि विधिनुसार न तो नियमन हेतु आवेदन पेश हुआ है, ना ही विधिनुसार जांच की गई है एव ना ही कोरम द्वारा आवंटन/नियमन किया गया है एव ना ही कब्जा प्राप्त किया है, ना ही काश्त की है तथा ना ही मीठालाल द्वारा आरक्षित मूल्य जमा करवाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त नियमन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमावें तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पति के पक्ष में किया गया तथाकथित नियमन बाबत् ग्राम पोमावा के गत खसरा नम्बर 451 जिसके बने हाल खसरा नम्बर 574/763 रकबा 0.68 हैक्टेयर निरस्त फरमावे तथा उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण को आवंटन/नियमन किये जाने हेतु आदेश पारित फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थिया को प्रेषित सम्मन दिनांक 23.01.2025 पर तामील कुनिन्दा द्वारा यह टिप्पणी प्राप्त हुई कि अप्रार्थिया एवं उनके पति की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या दो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रेषित जवाबपत्र दिनांक 18.09.2025 को पद संख्या सात में भी इसी तथ्य की तस्दीक की गई है अप्रार्थिया श्रीमती वदु पत्नी मीठालाल लाऔलाद फौत हो चुकी है।

तामील कुनिन्दा द्वारा की गई रिपोर्ट में श्री हस्तीमल को अप्रार्थिया स्व. वदु का गोदपुत्र बताने पर आक्षेप करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थिया का कोई गोदपुत्र नहीं है तथा विधिक वारिसों (if any) को सामने लाने हेतु दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित करवाने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2025 को स्वीकार किया गया तथा समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 31.08.2025 को अप्रार्थिया अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को उपसंजात होने हेतु आम सूचना प्रकाशित की गई।

तदन्तर, दिनांक 08.10.2025 को प्रार्थी श्री हस्तीमल पुत्र सुरतिंग नागर द्वारा उक्त आम सूचना के क्रम में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थिया श्रीमती वदु का गोदपुत्र बताते हुए पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया।

न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 12.12.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सि.प्र.स. इस तथाकथित गोदनामा कच्ची लिखित एवं अप्रार्थिया के हस्ताक्षर के अभाव तथा सक्षम सिविल न्यायालय से तदनुरुप घोषणा व डिक्री के अभाव में खारिज किया गया।

इसके अतिरिक्त, दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित करवाने के उपरान्त भी जैर अपील प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 574/763 मौजा पोमावा के सम्बन्ध में अप्रार्थिया स्वयं अथवा उनका कोई विधिक वारिसान आदिनांक उपस्थित नहीं हुआ है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थिया को प्रेषित जवाबपत्र एवं श्री हस्तीमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (आदेश 01 नियम 10) में इस तथ्य का अंकन है कि अप्रार्थिया श्रीमती वदु बाई एवं उनके पति की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि मौजा पोमावा के खसरा संख्या 574/763 के गत खसरा संख्या 451 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा में से 0.82 हैक्टेयर भूमि श्री सुरतिंग पुत्र वेला के नाम आवंटित हुई थी तथा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 186/81 में पारित निर्णय द्वारा उक्त श्री सुरतिंग जी को नवीन खसरा संख्या 574 में खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। किन्तु स्व. श्री मीठालाल को बिना किसी वैध नियमन या आवंटन के सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध कार्मिकों द्वारा बिना किसी आधार के राजस्व अभिलेख में गत खसरा संख्या 451 के आगे नियमन का नोट अंकित कर दिया। उक्त नोट में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा निर्णीत प्रकरण संख्या 186/81 का हवाला दिया है जबकि उक्त प्रकरण में श्री सुरतिंग पुत्र वेला ही पक्षकार थे तथा निर्णय भी श्री सुरतिंग के पक्ष में ही पारित किया गया था। इस प्रकार गत खसरा संख्या 451 मौजा पोमावा से बने नवीन खसरा संख्या 574/763 रकबा 0.68 हैक्टेयर में स्व. मीठालाल एवं उनकी मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नी के नाम किया गया अमलदरामद अवैध है। यह भी, कि श्री सुरतिंग पुत्र

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2025

उनवान : किशोरसिंह व अन्य बनाम बदू बेवा व अन्य अन्तर्गत नियम 18 राज. कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय) नियम 1978 विकेल्पन नियम, 20 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970)

वेला की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 574 (गत खसरा संख्या 451) प्रार्थीगण के पिता द्वारा क्रय की गई एवं तत्समय से ही विवादित आराजी खसरा संख्या 574/763 (गत खसरा संख्या 451) पर प्रार्थीगण का ही बदस्तुर कब्जाकाश्त है, अतः विवादित आराजी 574/763 में अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया तथाकथित नियमन निरस्त करते हुए उक्त भूमि प्रार्थीगण के पक्ष में आवंटित/नियमित करने का आदेश फरमावें। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः–

1. 212 Mehtab Vs. Rajjo RRT 2021 (1)
2. RRD 2017 Page 415
3. 2014 (3) DNJ (Raj) 1065
4. 1140 RRT 2021 (2)

अप्रार्थी संख्या दो वक्त बहस उपस्थित नहीं। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों का भी गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पोमावा के गत खसरा संख्या 451 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा से भू प्रबन्ध कार्यवाही उपरान्त दो नवीन खसरा संख्या 574 रकबा 0.82 हैक्टेयर तथा 574/763 रकबा 0.68 सृजित किए गए, जैसा कि पत्रावली में सलंग्न मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। जमाबन्दी संवत् 2023–26 में उक्त गत खसरा संख्या 451 राजकीय खाता संख्या एक में दर्ज थी। किन्तु पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणित दस्तावेजों से यह ज़ाहिर होता है खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से 2034 में उक्त गत खसरा संख्या 451 के आगे "नियमन सुरतिंग पुत्र वेला, मीठा पुत्र बगता बंधारा" का नोट अंकित किया गया। इसी प्रकार भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान तैयार खसरा पत्रंक में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के प्रकरण संख्या 186/81 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 20.05.1982 के सन्दर्भ में नवीन खसरा संख्या 574 रकबा 0.82 हैक्टेयर सुरतिंग पुत्र वेलाजी के नाम तथा खसरा संख्या 574/763 रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि मीठालाल पुत्र वरदा के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किए जाने का अंकन किया गया है।

इस सन्दर्भ में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के उक्त प्रकरण संख्या 186/81 की प्रमाणित पत्रावली का अध्ययन किया गया, जिस से ज़ाहिर होता है कि सेटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 20.05.1982 के द्वारा मौजा पोमावा के नवगठित खसरा संख्या 574 रकबा 0.82 हैक्टेयर की तरमीम की जाकर श्री सुरतिंग बंजारा के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए। उक्त निर्णय में अप्रार्थिया श्रीमती वदुबाई के पति श्री मीठालाल बंधारा का उल्लेख नहीं है। यद्यपि उक्त पत्रावली प्रकरण संख्या 186/81 की आदेशिका दिनांक 30.07.1981 में मौजा पोमावा के गत खसरा संख्या 451 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा का श्री सुरतिंग पुत्र वेला एवं श्री मीठालाल पुत्र वरदा को आवंटन होने तथा आरक्षित मूल्य जमा न कराने पर दिनांक 27.01.1979 को आवंटन निरस्त कर उक्त भूमि कब्जेराज करने का भी अंकन है। साथ ही, उक्त आदेशिका दिनांक 30.07.1981 में अतिरिक्त जिलाधीश पाली के प्रकरण संख्या 40/78 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 01.12.1980 का भी सन्दर्भ अंकित है, जिसके द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश पाली द्वारा प्रकरण बउनवान "सरकार बनाम सुरतिंग" प्रकरण संख्या 40/78 में दिनांक 01.12.1980 को यह निर्णय पारित किया गया कि गैर सायल सुरतिंग पुत्र वेला द्वारा आरक्षित मूल्य की राशि जमा करा दी है, अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.1979 को निरस्त किया जाता है तथा सुरतिंग पुत्र वेला बन्धारा पोमावा को खसरा संख्या 451 रकबा 5)3 के खातेदारी हक प्रदान किए जाए।

अर्थात् पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह ज़ाहिर है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 186/81 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश पाली के द्वारा प्रकरण संख्या 40/78 में पारित निर्णय श्री सुरतिंग पुत्र वेला से ही सम्बन्धित थे एवं उनमें अप्रार्थिया के पति श्री मीठालाल के पक्ष में पुनः आवंटन अथवा पुर्ननियमन बाबत् कहीं कोई अंकन नहीं है। स्व. मीठालाल के पक्ष में निरस्तीकरण आदेश दिनांक 27.01.1979 को खारिज कर आवंटन पुनः बहाल किए जाने बाबत ऐसा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2025

उनवान : किशोरसिंह व अन्य बनाम बदू बेवा व अन्य अन्तर्गत नियम 18 राज. कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय) नियम 1978 विकेल्पन नियम, 20 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970)

कोई आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और यह भी उल्लेखनीय है कि भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर (अप्रार्थी संख्या दो) द्वारा प्रस्तुत जवाबपत्र दिनांक 18.09.2025 के पद संख्या तीन, पांच एवं दस में यह कथन किया है कि उक्त श्री मीठालाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी आवंटन/नियमन आदेश का इन्द्राज नहीं पाया गया है एवं न ही अप्रार्थी द्वारा आरक्षित मूल्य जमा करवाने बाबत कोई दस्तावेज/रसीद रिकॉर्ड रुम कार्यालय में पाया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान तैयार खसरा पत्रक में प्रकरण संख्या 186/81 का हवाला देकर श्री सुरतिंग पुत्र वेला के साथ साथ श्री मीठालाल पुत्र वरदा बंधारा का नाम अंकित करना निराधार एवं त्रुटिपूर्ण था तथा इसी आधार पर तैयार खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2037 से 2056 में गत खसरा संख्या 451 से बने नवीन खसरा संख्या 574/763 रकबा 0.68 हैक्टेयर में श्री मीठालाल को गैर खातेदार दर्ज करना भी प्रथमदृष्टया आधारहीन ही प्रमाणित होता है। कालान्तर में श्री मीठालाल की मृत्यु पर विवादित आराजी में उनकी पत्नी अप्रार्थिया श्रीमती वदु को ज़रिए नामान्तरकरण संख्या 368 बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया।

सारांशतः, प्रार्थीपक्ष द्वारा यह उजर लिया गया है कि सेटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध कार्मिकों द्वारा गत खसरा संख्या 451 से सृजित नवीन खसरा संख्या 574/763 में अप्रार्थिया के पति श्री मीठालाल बंधारा को त्रुटिपूर्ण ढंग से बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया, जिसे राज. कॉलोनाइजेशन (जवाई प्रोजेक्ट सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय) नियम 1978 के नियम 18 एवं विकल्प के रुप में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के प्रावधानान्तर्गत निरस्त कर प्रार्थीपक्ष के तथाकथित कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन/नियमन के आदेश पारित करने की मांग की गई है।

चूंकि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 186/81 की आदेशिका दिनांक 30.07.1981 में यह उल्लेख किया है कि ग्राम पोमावा के गत खसरा संख्या 451 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा का सुरतिंग पुत्र वेला एवं मीठालाल पुत्र वरदा को आवंटन हुआ था एवं भूमि का आरक्षित मूल्य जमा न करवाने पर दिनांक 27.01.1979 को कब्जेराज की गई। न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश पाली द्वारा भी प्रकरण संख्या 40/78 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 01.12.1980 द्वारा उक्त दोनों आवंटियों में से श्री सुरतिंग द्वारा आरक्षित मूल्य दिनांक 29.11.1977 को जमा करवाने पर न्यायालय के आवंटन रद्दीकरण आदेश दिनांक 27.01.1979 उक्त श्री सुरतिंग के पक्ष में ही रद्द करते हुए उन्हें रकबा 5)3 बीघा का खातेदार घोषित किया। इस क्रम में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा **उक्त श्री सुरतिंग को नवसृजित खसरा संख्या 574 रकबा 0.82 हैक्टेयर में नाम इन्द्राज किया गया। चूंकि आरक्षित मूल्य जमा कर नियमन करने का राजस्थान कॉलोनाइजेशन (जवाई प्रोजेक्ट) नियम, 1978 के नियम 13 ए के उपनियम (3) में प्रावधान है, अतः यह उपधारणा की जा सकती है कि अप्रार्थिया के पति स्व. मीठालाल के पक्ष में किया गया आवंटन/नियमन राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट 1954 एवं उसके अनुषंगी तत्समय प्रवृत्त नियमों के तहत ही किया गया था। अतः हस्तगत प्रार्थनापत्र को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानानुसार ही विनिश्चित करना न्यायोचित है।**

यह भी निर्विवाद है कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों यथा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के प्रकरण संख्या 186/81 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश पाली के प्रकरण संख्या 40/78 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 01.12.1980 से यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थिया के पति स्व. मीठालाल के पक्ष में किया गया आवंटन/नियमन दिनांक 27.01.1979 को निरस्त कर दिया एवं श्री सुरतिंग पुत्र वेला के पक्ष में पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 01.12.1980 द्वारा आवंटन निरस्तीकरण को रद्द करते हुए रकबा 5)3 बीघा की खातेदारी प्रदान की गई। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 186/81 में निर्णय दिनांक 20.05.1982 द्वारा इसी आधार पर उक्त श्री सुरतिंग के पक्ष में नवीन खसरा संख्या 574 रकबा 0.82 हैक्टेयर का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश पारित किया गया। किन्तु भू प्रबन्ध कार्मिकों द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 186/81 में निर्णय दिनांक 20.05.1982 का हवाला देते हुए उक्त सुरतिंग पुत्र वेला के साथ साथ अप्रार्थिया के पति स्व. मीठालाल का नाम राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश बदस्तुर रखा गया। यद्यपि वैधानिक स्थिति यह है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान कारित किसी त्रुटि को दुरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस अपीलीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है अपितु इस हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के उपबन्धान्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी अर्थात पदाभिहित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2025

उनवान : किशोरसिंह व अन्य बनाम बदू बेवा व अन्य अन्तर्गत नियम 18 राज. कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय) नियम 1978 विकेल्पन नियम, 20 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सक्षम है। किन्तु चूंकि मूल आवंटी श्री मीठालाल बंधारा की मृत्यु हो चुकी है तथा न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन पर प्राप्त तामीली रिपोर्ट, भूमिधारी तहसीलदार के जवाबपत्र एवं श्री हस्तीमल द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार संयोजन से इस तथ्य की भी पुष्टि हो चुकी है कि अप्रार्थिया एवं विवादित आराजी में बतौर गैर खातेदार दर्ज श्रीमती बदुबाई पत्नी स्व. श्री मीठालाल की भी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। इस न्यायालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना दिनांक 31.08.2025 प्रकाशित करवाने के उपरान्त भी अप्रार्थिया अथवा उनका कोई वैध उत्तराधिकार न्यायालय हाजा में उपसंजात नहीं हुआ है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित आराजी मौजा पोमावा के खसरा संख्या 574/763 के राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार के रुप में दर्ज श्रीमती बदुबाई की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त भूमि पर अपना वैधानिक हक हकूक क्लेम करने हेतु कोई विधिक उत्तराधिकारी भी उपसंजात नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में, यदि यह मान भी लिया जाए कि अप्रार्थीया के पति स्व. मीठालाल के पक्ष में विवादित आराजी के सम्बन्ध में किया गया इन्द्राज वैधानिक था, तो भी स्व. मीठालाल एवं उनकी पत्नी अप्रार्थिया श्रीमती वदु की लाऔलाद मृत्यु तथा किसी विधिक उत्तराधिकारी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त भूमि पर क्लेम नहीं करने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 की उपधारा (1) के प्रावधानानुसार विवादित आराजी खसरा संख्या 574/763 मौजा पौमावा की अभिधृति (Tenancy) निर्वापित (Extinguish) हो चुकी है।

अतः मौजा पोमावा के खसरा संख्या 574/763 रकबा 0.6800 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख में बतौर गैर खातेदार दर्ज अप्रार्थिया का नाम विलोपित कर भूमि राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

यद्यपि प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त भूमि स्वयं के पक्ष में आवंटन/नियमन करने का आदेश पारित करने की भी इस्तदुआ चाही है, किन्तु राजस्थान कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट) नियम 1978 के नियम 13 के उपबन्धानुसार कोई भी आवंटन/नियमन कलेक्टर द्वारा अधिसूचना प्रकाशन उपरान्त सलाहकार समिति की अनुशंषा पर किया जाता है एवं इस हेतु इस न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा पोमावा के खसरा संख्या 574/763 को राजकीय खाते में बज़तरफ सरकार दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। साथ ही, तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिए जाते है कि उक्त भूमि को राज कब्जे में लेकर निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला पाली
बाली

Scanned with OKEN Scanner